NOTICE – GENERAL

(No.' Ref REG./GEN/58| 8 July 2017)

उ०प्र० शासन की दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवश्यक सूचना (सत्र 2017–18)

(अनुसूचित जाति/जनजाति; अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों हेतु)

Important Information regarding Postmatric Scholarship & Fee Reimbursement (2017-18)

(For SC/ST, OBC, GEN, and Minority Students)

संस्थान में अध्ययनरत् समस्त छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है कि सत्र 2017–2018 हेतु उ०प्र० शासन से दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति (**Postmatric Scholarship & Fee Reimbursement**) को प्राप्त करने हेतु संशोधित नियमावली 2017 में जारी की गयी है। इसके निर्देशानुसार संस्थान में सत्र 2017–18 में पूर्व से ही अध्ययनरत् तथा नवप्रवेशित अनुसूचित जाति/जनजाति, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के पात्र छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति शासन से प्रदान की जानी है। इसके लिए पात्र छात्र/छात्राओं को उ०प्र० शासन की वेबसाइट www.scholarship.up.nic.in के Link पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना है तथा शासन द्वारा दी गयी समयसारिणी के अनुसार त्रुटिहीन समस्त आवश्यक प्रपत्र संलग्न कर निर्धारित तिथि के अन्दर संस्थान के रजिस्ट्रार आफिस में जमा करना है। शासन के निर्देशानुसार आवेदन पत्र भरने की आनलाईन प्रक्रिया छात्र/छात्राओं द्वारा पूर्ण की जानी है एवं इसमें भरी गयी असत्य एवं गलत सूचना भरने व देने के लिए छात्र/छात्राएँ स्वयं ही जिम्मेदार होंगे तथा ऐसी परिस्थितियों में उ०प्र० शासन द्वारा आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा।

आवेदन पत्र भरने की प्रकिया, पात्रता एवं संलग्न होने वाले आवश्यक प्रपत्र तथा समयसारिणी का विवरण निम्न हैं।

(क) आवेदन पत्र भरने की प्रकिया

First open UP Govt website www.scholarship.up.nic.in

↓ then go to

Postmatric Scholarship & Fee Reimbursement online system (Link)

(दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति आनलाईन प्रणाली) पर जाये उसके बाद

↓

Student Section 2017-2018

Old Student click for renewal scholarship → For Renewal Application Form

विगत वर्ष छात्रवृत्ति आवेदन पत्र भरने वाले छात्र/छात्राओं के नवीनीकरण हेतु।

1. रजिस्ट्रेशन करें
2. आवेदन हेतु लागिन करें
3. विगत वर्ष भरे आवेदन पत्र को अपडेट करें
4. आवेदन पत्र की जाँच करे यदि त्रुटि हो तो सही करें
5. फाइनल प्रिन्ट निकालें

New Student click for new registration → For Fresh Application Form

नवप्रवेशित तथा वर्तमान में पात्रता प्राप्त करने वाले पूर्व से अध्ययनरत् ऐसे छात्र जो व्यक्तिगत कारणो से विगत वर्ष में आवेदन नही कर सकें।

1. रजिस्ट्रेशन करें
2. आवेदन हेतु लागिन करें
3. नया आवेदन पत्र भरें
4. आवेदन पत्र की जाँच करें यदि त्रुटि हो तो सही करें
5. फाइनल प्रिन्ट निकाले

(ख) पात्रता

(1) नवीनीकरण हेतु पात्रता – विगत वर्ष 2016–17 में आवेदन करने वाले छात्र/छात्राएँ ही सत्र 2017–18 में नवीनीकरण हेतु पात्र होंगे तथा साथ ही विगत वर्ष की परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है शेष पात्रता की शर्तें विगत वर्ष (2016–17) की भांति ही होगी।

(2) नवप्रवेशित छात्र/छात्राओं हेतु पात्रता–

अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के छात्र/छात्राओं हेतु माता, पिता अथवा अभिभावक की आय समस्त स्रोतों से 2 लाख रुपया या इससे कम होनी चाहिए तथा संस्थान के परिसर में स्थित बैंक ऑफ इंडिया में छात्र का व्यक्तिगत बचत खाता होना आवश्यक है।

सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र/छात्राओं हेतु माता, पिता अथवा अभिभावक की आय समस्त स्रोतों से 2 लाख रुपया या इससे कम होनी चाहिए एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु सत्र की परीक्षा में 60% अंकों में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है तथा संस्थान के परिसर में स्थित बैंक ऑफ इंडिया में छात्र का व्यक्तिगत बचत खाता होना आवश्यक हैं।

(3) दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति में आवेदन करने वाले छात्र/छात्राओं को विश्वविद्यालय की परीक्षा में बैठना अनिवार्य है तथा कॉलेज में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। अन्यथा की स्थिति में छात्रवृत्ति नही मिलेगी यदि छात्रवृत्ति मिल गई और बाद में कॉलेज में 75 प्रतिशत उपस्थिति पूर्ण नही रखी तो सम्बधित विभाग को छात्रवृत्ति वापिस करनी होगी न करने पर विधिक कार्यवाही की जायेगी।

(4) नवीनीकरण करने वाले छात्र/छात्राओं को भी कॉलेज में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है अन्यथा की स्थिति में छात्रवृत्ति नही मिलेगी, यदि छात्रवृत्ति मिल गई और बाद में कॉलेज में 75 प्रतिशत उपस्थिति पूर्ण नही रखी तो सम्बधित विभाग को छात्रवृत्ति वापिस करनी होगी न करने पर विधिक कार्यवाही की जायेगी।

क्रमशः पेज 2 पर

पृष्ठ-2

(ग) आवश्यक संलग्नक

(1) नवीनीकरण करने वाले छात्र/छात्राओं हेतु–

उक्त छात्र/छात्राओं को नवीनीकरण किये गये आवेदन पत्र का प्रिन्ट आउट के बाद छात्र तथा अभिभावक द्वारा हस्ताक्षरित होने के साथ–साथ सत्र 2016–17 में आयोजित परीक्षाफल का अंक पत्र संस्थान के परीक्षा नियन्त्रक के द्वारा प्रमाणित प्रति संलग्न करना होगा तथा आवेदन पत्र के साथ विगत वर्ष मे लगाये गये समस्त प्रपत्रों की छायाप्रति भी संलग्न करनी है।

(2) नवप्रवेशित छात्र/छात्राओं हेतु–

- आवेदन पत्र का प्रिन्ट आउट।
- माता, पिता अथवा अभिभावक का आय प्रमाण पत्र, तहसीलदार द्वारा जारी तथा नेट वैरिफिकेशन सहित यदि आय प्रमाण पत्र में आय का श्रोत सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी लिखा हो तो नियोक्ता द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र भी अतिरिक्त रुप में संलग्न करना आवश्यक हैं।
- तहसील द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र (केवल **SC, ST, & OBC** हेतु) नेट वैरिफिकेशम सहित।
- तहसील द्वारा निर्गत छात्र का निवास प्रमाण पत्र नेट वैरिफिकेशन सहित।
- राष्ट्रीयकृत बैंक में छात्र के बचत खाते की पास बुक की फोटो कापी (खाता संस्थान में स्थित बैंक ऑफ इंडिया की तिवारीगंज शाखा लखनऊ में होना चाहिए)
- संस्थान में जमा की गयी शुल्क रसीद की छाया प्रति।
- छात्र के आधार कार्ड की छायाप्रति।
- यू.पी.एस.ई.ई. आवंटन पत्र तथा रैंक लेटर की छाया प्रति।
- हाईस्कूल प्रमाण पत्र।
- इन्टर मार्कशीट/डिप्लोमा मार्कशीट तथा स्नातक कोर्स हेतु स्नातक मार्कशीट।
- सत्र 2016–17 में यदि शिक्षा में अन्तराल है तो इसका शपथ पत्र।
- छात्र द्वारा प्राख्प 1 पर शपथ पत्र (जाति, निवास, शिक्षण संस्थान, विगत वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण होने, बैंक खाता सम्बन्धित विवरण का एक ही शपथ पत्र पर) दिये जाने वाला घोषणा पत्र। प्रारुप रजिस्ट्रार आफिस से प्राप्त करें।
- अभिभावक वाला दिये जाने वाला शपथ पत्र प्रारुप 2 पर (निवास, आय सम्बन्धित शपथ पत्र) प्रारुप रजिस्ट्रार आफिस से प्राप्त करें।
- अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों द्वारा (100रु के स्टाम्प पेपर पर) दिया जाने वाला अनुबन्ध पत्र। प्रारुप रजिस्ट्रार आफिस से प्राप्त करें।

(घ) समय सारिणी

क्र0 सं0	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	समयावधि
1.	छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन तथा नवीनीकरण किया जाना	प्रारम्भ 01 जुलाई से 2017 से अन्तिम तिथि 30 अक्टूबर 2017 तक
2.	त्रुटियों को छात्र/छात्राओं द्वारा ठीक किया जाना	फाइनल प्रिंट आउट निकलने से पूर्व 3 कार्य दिवसों में
3.	ऑनलाइन आवेदन पत्र आवश्यक संलग्नकों सहित छात्र/छात्राओं द्वारा शिक्षण संस्थान में जमा किया जाना	संस्थान में जमा करने हेतु (फाइनल) प्रिंट साइट से निकालने के उपरान्त तीन कार्य दिवसों के अन्दर
4.	संदेहास्पद डेटा का प्रदर्शित होना व त्रुटियों को छात्र/छात्राओं द्वारा ठीक किया जाना	05 दिसम्बर 2017 से 15 दिसम्बर 2017 तक
5.	त्रुटियों को ठीक करके आनलाईन आवेदन पत्र शिक्षण संस्थान में जमा किया जाना	आवेदन पत्र में त्रुटियों को ठीक करने के उपरान्त नया प्रिन्ट निकाल कर 03 कार्य दिवसो के अन्दर संस्थान में जमा करें।

विशेष–

1. दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन करने वाले छात्र/छात्राएँ अपना व्यक्तिगत बचत खाता संस्थान के परिसर में स्थित बैंक ऑफ इंडिया की तिवारीगंज शाखा लखनऊ में दिनांक 15 सितम्बर तक अवश्य ही खोल ले क्योंकि इस बैंक मे IFSC कोड तथा NEFT/RTGS की सुविधा उपलब्ध है एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि ऑनलाइन NEFT/RTGS की स्थिति में यदि कोई समस्या आती है तो उसका निराकरण किया जा सकें।
2. आवश्कता पड़ने पर छात्र/छात्राएँ दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया सम्बन्धी जानकारी के लिए संस्थान के रजिस्ट्रार आफिस से सम्पर्क किया जा सकता है तथा आवेदन पत्र के साथ लगने वाले शपथ पत्रों के प्रारुप भी प्राप्त करें।
3. छात्र/छात्राओं को सलाह दी जाती है कि वह दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन पत्र आनलाइन भरने तथा संस्थान में जमा करने हेतु अन्तिम तिथि का इन्तजार न करें तथा जल्दी से जल्दी से यह कार्य करें क्याकि अन्तिम तिथि के समय वेबसाइट में अक्सर तकनीकि दिक्कतों का सामना करना पड़ता हैं।
4. समाज कल्याण द्वारा छात्रों हेतु प्राप्त महत्वपूर्ण निर्देश (पेज–3) नोटिस के साथ संलग्न को अवश्य पढ़े।

आज्ञा से,

19/7/2017

(डा0 सतीश चन्द)
कुलसचिव